मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग,

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 1/ 29 /आर-2036896/2024/4-1/चार भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2024

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन,
   शासन के समस्त विभाग,
   मंत्रालय, भोपाल ।
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
   मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि के लिये बजट आवंटन एवं व्यय की कार्ययोजना के संबंध में दिशा- निर्देश ।

संदर्भ :- 1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 851/आर-2036896/2024/ब-1/चार भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2024

2. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 347/आर-1703/चार /ब-1/2012, भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2017

-000-

विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र क्रमांक-1 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि (अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक) में बजट आवंटन एवं व्यय की कार्ययोजना के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। संदर्भित परिपत्र क्रमांक-1 के परिशिष्ट-4 में उल्लेखित योजनाओं में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही राशि आहरण किये जाने का प्रावधान है।

2/ राज्य शासन के कतिपय विभागों द्वारा परिशिष्ट-4 हेतु सक्षम प्राधिकारी के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। अतः उक्त संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

1. नवीन योजना लागू किये जाने के लिये, सर्वप्रथम संदर्भित पत्र क्रमांक-2 की कंडिका 3 एवं 4 [अ] में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार मंत्रि-परिषद की सैध्दांतिक स्वीकृति प्राप्त की जाये।

II. मंत्रि-परिषद से सैध्दांतिक स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में नवीन योजनांतर्गत स्वीकृत किये जाने वाले पूंजीगत/राजस्व व्यय के लिये संदर्भित पत्र क्रमांक-2 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन किया जाये। केवल पूंजीगत व्यय के लिये कंडिका क्रमांक-4 के अनुसार एवं केवल राजस्व व्यय के लिये कंडिका 5 [अ] के अनुसार तथा पूंजीगत एवं राजस्व दोनों प्रकार के व्यय एक ही योजनांतर्गत होने पर कंडिका 5 [ब] में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(तन्वी सुन्द्रियाल)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रं/1125/आर-2036896/2024/ब-1/चार   भोपाल, दिनांक/13 सितम्बर 2024

प्रतिलिपि :-

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन मध्यप्रदेश भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म.प्र. ग्वालियर / भोपाल ।
9. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
11. समस्त सचिव/संचालक बजट/उप सचिव/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
12. आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश ।

14. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
15. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
16. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु ।

(आशीष नंदमवार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग